न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : धारा सिंह मीणा, RAS

अपील संख्या 39 / 2020

1 महादेव उर्फ माधवाचार्य पुत्र रामेश्वरदयाल जाति ब्राहम्ण निवासी पिपराली तहसील व जिला सीकर हाल आबाद सुनारों की धर्मशाला रामलीला मैदान पोलो ग्राउन्ड सीकर जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 सोहनलाल पुत्र रामेश्वरदयाल।
2 सीताराम पुत्र रामेश्वरदयाल।
3 मुकनी देवी पत्नी मूलचन्द।
4 भंवरलाल पुत्र मूलचन्द।
5 सुरेश कुमार पुत्र मूलचन्द।
6 विधा पुत्री मूलचन्द समस्त जाति ब्राहम्ण निवासीगण पिपराली तहसील व जिला सीकर।
7 राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा पिपराली जिला सीकर जरिये प्रबन्धक।
8 उप पंजियक सीकर कार्याय सीकर।
9 पटवारी पटवार हल्का पिपराली तहसील व जिला सीकर।
10 भूमिधारक राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सीकर जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील विरूद्व निर्णय उपखण्ड अधिकारी
सीकर बउनवानी सोहनलाल बनाम महादेव आदि
दावा संख्या 382 / 2014 में दिनांक 12.02.2020
को प्राथमिक डिक्री पारित की गई।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री अनिल कुमार भार्गव, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री गणपत लाल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 16.08.2022

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 382/2014 में पारित निर्णय दिनांक 12.02.2020 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट सोहनलाल द्वारा ग्रम लखीपुरा तहसील व जिला सीकर की भूमि खसरा नम्बर 9,10,15,16,17,18,20,2531/8 एवं ग्राम पिपराली तहसील व जिला सीकर की भूमि खसरा नम्बर 905,906 बाबत बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय मे प्रतिवादी अपीलांट महादेव की ओर जवाब दावा प्रस्तुत कर विवादित भूमि का 30 वर्ष पूर्व बाहमी विभाजन होना कथित कर वाद वादी खारिज करने का निवेदन किया है। विचारण न्यायालय ने वाद व जवाब दावे के आधार पर 5 तनकीयात कायम कर उभयपक्ष की साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री किया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय मे विभाजन का वाद प्रस्तुत किया गया था जबकि विवादित भूमियां दावा प्रस्तुत करने के 30 वर्ष पूर्व पारिवारिक विभाजन से बांट ली गई थी। विचारण न्यायालय ने अपीलांट ने जवाब दावे में यह कथन किया था समर्थन मे बही की लिखावट प्रदर्श पी 01 प्रस्तुत की थी एवं डी.डब्ल्यू 1,2,3

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

के बयान करवाये थे। विचारण न्यायालय ने बही की लिखावट को एक पंजिकृत होने के कारण बाई मिट्स एण्ड बाउन्डस विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी कर विधिक त्रुटि की है। विधि अनुसार पारिवारिक विभाजन को अस्वीकार नही किया जा सकता है। वादी का वाद खारिज योग्य है। अत अपील स्वीकार की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 20, आर.आर.डी. 1975 एन.यू. ई. पेज 120, आर.आर.डी. 1985 पेज 694, ए.आई.आर. 1966 एस.सी. पेज 923, आर.एल.डब्ल्यू 2008 (3) पेज 2087 एवं आर.आर.डी. 2003 पेज 20 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि प्रस्तुत प्रकरण विचारण न्यायालय के समक्ष विभाजन हेतु प्रस्तुत किया गया था। वादी द्वारा विवादित भूमियां अविभाजित होना कथित कर बाई मिट्स एण्ड बाउन्डस विभाजन का अनुतोष चाहा गया था। इसके विपरित प्रतिवादी अपीलांट द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत कर विवादित भूमियां 30 वर्ष पूर्व बही की लिखावट से पारिवारिक विभाजन द्वारा विभाजित होने का कथन कर वादी का दावा खारिज करने का अनुतोष चाहा गया था। विचारण न्यायालय में प्रतिवादी अपीलांट द्वारा प्रदर्श 01 के रूप में बही की लिखावट की छाया प्रति साक्ष्य में प्रदर्शित करवाई गई थी। विचारण न्यायालय में प्रथम तो प्रतिवादी द्वारा मूल दस्तावेज प्रदर्शित नही करवाया गया है। द्वितीय इस दस्तावेज मे अंकित गवाहो को विचारण न्यायालय के समक्ष साक्ष्य में प्रस्तुत नही किया गया है। इस पारिवारिक विभाजन पत्र प्रदर्श ए 01 में विवादित भूमियों के खसरा नम्बर अंकित नही है। विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत पारिवारिक विभाजन में अंकित रकबे एवं वाद में अंकित रकबे मे भी काफी अन्तर है। यह लिखावट अपंजिकृत होने से साक्ष्य में पठनीय नही है। विभाजन के वाद मे पारिवारिक समझौता प्रमाणित नही होने पर बाई मिट्स एण्ड बाउन्डस विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी किये जाने का आदेश जारी करने में विचारण न्यायालय ने कोई विधिक त्रुटि

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

नही की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील खारिज की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.डी. 1990 पेज 548, आर.आर.डी. 1975 पेज 764 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण विचारण न्यायालय के समक्ष विभाजन हेतु प्रस्तुत किया गया था। वादी द्वारा विवादित भूमियां अविभाजित होना कथित कर बाई मिट्स एण्ड बाउन्डस विभाजन का अनुतोष चाहा गया था। इसके विपरित प्रतिवादी अपीलांट द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत कर विवादित भूमियां 30 वर्ष पूर्व बही की लिखावट से पारिवारिक विभाजन द्वारा विभाजित होने का कथन कर वादी का दावा खारिज करने का अनुतोष चाहा गया था। विचारण न्यायालय में प्रतिवादी अपीलांट द्वारा प्रदर्श 01 के रूप में बही की लिखावट की छाया प्रति साक्ष्य में प्रदर्शित करवाई गई थी। विचारण न्यायालय में प्रथम तो प्रतिवादी द्वारा मूल दस्तावेज प्रदर्शित नही करवाया गया है। द्वितीय इस दस्तावेज मे अंकित गवाहो को विचारण न्यायालय के समक्ष साक्ष्य में प्रस्तुत नही किया गया है। इस पारिवारिक विभाजन पत्र प्रदर्श ए 01 में विवादित भूमियों के खसरा नम्बर अंकित नही है। विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत पारिवारिक विभाजन में अंकित रकबे एवं वाद में अंकित रकबे मे भी काफी अन्तर है। यह लिखावट अपंजिकृत होने से साक्ष्य में पठनीय नही है। विभाजन के वाद मे पारिवारिक समझौता प्रमाणित नही होने पर बाई मिट्स एण्ड बाउन्डस विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी किये जाने का आदेश जारी करने में विचारण न्यायालय ने कोई विधिक त्रुटि नही की है।

प्रकरण के सन्दर्भ में रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आर.आर.डी. 1990 पेज 548 में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि " (a) Indian Registration Act, Section 17(2)- Family settlement involved immovable property worth over Rs. 100/- which has been

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

reduced in writies compulsorily registerable. इस न्यायिक दृष्टांत की रोशनी में भी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत पारिवारिक विभाजन अपंजिकृत होने के कारण साक्ष्य में स्वीकार्य नही है।

विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली में प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का तनकीवार विवेचन कर विधि सम्मत निर्णय पारित किया गया है। अत इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 16.08.22 को सरे इजलास सुनाया गया।

(धारा सिंह मीणा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर